आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 611/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, मानउपासना प्लॉजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सिद्धार्थ पारीक पुत्र कैलाश पारीक,

   पता :– फ्लेट नम्बर ए–एस–2, सैकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर एफ 87, वक्रांगी हाईटस्, स्कीम मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाडा रोड, जयपुर।

   एवं 23/54, स्वर्ण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

   एवं प्लॉट नम्बर 14, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर।

   एवं मार्फत् टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, सी–125, फैज–8, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मोहाली, पंजाब।

2. श्रीमती सरला पारीक पत्नी सिद्धार्थ पारीक,

   पता :– फ्लेट नम्बर ए–एस–2, सैकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर एफ 87, वक्रांगी हाईटस्, स्कीम मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाडा रोड, जयपुर।

   एवं 23/54, स्वर्ण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

   एवं प्लॉट नम्बर 14, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर।

3. श्री महेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री नाथूलाल पारीक,

   पता :– फ्लेट नम्बर ए–एस–2, सैकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर एफ 87, वक्रांगी हाईटस्, स्कीम मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाडा रोड, जयपुर।

   एवं 80, गिर्राज विहार, हीरापुरा, भूरा पटेल मार्ग, 200 फीट बाईपास, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :– श्री के के सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 18.10.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक 21.03.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सरला पारीक के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर ए–एस–2, सैकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर एफ 87, वक्रांगी हाईटस्, स्कीम मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाडा रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1175.52 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 21,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 21,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 13,62,891.28/— रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सरला पारीक के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर ए—एस—2, सैकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर एफ 87, वक्रांगी हाईटस्, स्कीम मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाडा रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1175.52 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **18.10.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जयपुर (राज.)